

04/8/2021 पत्रावली पेश हुई। अखिलता प्रार्थी उपरी
विपक्षीयता अनुयायित। आवाज लगवाई गयी।
उपस्थित नहीं हुए। अतः इनके विरुद्ध एक पक्षीय
कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। वही प्रकाश
अखिलता प्रार्थी जुनी गयी।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन
कर अखिलता प्रार्थी की वही पर मगन किछा
प्रार्थी मोंजा सेमलपुरा प० ह. सेमलपुरा तहसील
चित्तौड़गढ़ की आरजी संख्या 1930/1356 रकबा
0.3933 हे. का स्वामिदार है। प्रार्थी उक्त आरजी
को पत्थरगदी कराना चाहता है। अतः प्रार्थी
का प्रार्थना पर अन्तर्गत खाना 128 CRN को
स्वीकार किछा जाकर प्रार्थी की ग्राम सेमलपुरा
प० ह. सेमलपुरा स्थित आरजी संख्या 1930/1356
रकबा 0.3933 हे. भूमि की बिना किसी के कड़े
से दरखलान्दगी किए सेटलमेंट नमूने अनुसार
पत्थरगदी किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।
पत्थरगदी शुल्क 500,000 रु. अक्षरे पांच लाख रुपए
प्रार्थी वहन करेगा। पालनार्थ तहसीलदार चित्तौड़गढ़
को लिखा जावे कि पक्षकारान को लिखित सूचना
देकर नियमानुसार पत्थरगदी की जावे एवं पालन
रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत करें। निवीप लिखाया
जाकर स्परे इजलास सुनाया गया। पत्रावली कंसल
शुमार होकर नम्बर ले कम हो।

2020
00119

(शुमार सुकर विनॉई)
सहायक कमिश्नर एवं
असद्व्य अक्षरकार
चित्तौड़गढ़ (स.स.)